



भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI)

प्रलिस के लयि:

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI), प्रतस्पर्द्धा अधनियिम 2002

मेन्स के लयि:

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI) के मुद्दे और उपलब्धयिँ, वभिन्न प्रकार के सांवधिकि नकिय

चर्चा में क्यँ?

हाल ही में वतित मंत्री ने भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI) के 13वँ वार्षकि दविस समारोह में भाग लयि ।

- इस अवसर पर वतित मंत्री ने कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कयि और CCI के लयि एक उन्नत वेबसाइट का शुभारंभ भी कयि ।

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI):

परचिय:

- भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग एक सांवधिकि नकिय है जो [प्रतस्पर्द्धा अधनियिम, 2002](#) के उद्देश्यँ को लागू करने के लयि उत्तरदायी है । इसका वधिवित गठन मार्च 2009 में कयि गया था ।
- राघवन समति की सफिरशिँ के आधार पर [एकाधिकार और प्रतबिधात्मक व्यापार व्यवहार अधनियिम \(MRTP Act\)](#), 1969 को नरिसत कर इसे प्रतस्पर्द्धा अधनियिम, 2002 द्वारा प्रतस्थापति कयि गया है ।

संरचना:

- प्रतस्पर्द्धा अधनियिम के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जनिहँ केंद्र सरकार द्वारा नयिकुत कयि जाता है ।
- आयोग एक [अर्द्ध-न्यायकि नकिय \(Quasi-Judicial Body\)](#) है जो सांवधिकि प्राधिकरणँ को परामर्श देने के साथ-साथ अन्य मामलों को भी संबोधति करता है । इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालकि होते हैं ।

सदस्यँ की पातरता:

- इसके अध्यक्ष और सदस्य बनने के लयि ऐसा वयकृतिपात्र होगा जो सत्यनषिठा और प्रतषिठा के साथ-साथ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नयिकुत होने की योग्यता रखता हो या जिसके पास अंतरराष्टरीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारोबार, वाणजिय, वधि, वतित, लेखा कार्य, प्रबंधन, उद्योग, लोक कार्य या प्रतस्पर्द्धा संबंधी वषियँ में कम-से-कम पंद्रह वर्ष का वशिष ज्ञान एवं वृत्तकि अनुभव हो और केंद्र सरकार की राय में आयोग के लयि उपयोगी हो ।

प्रतस्पर्द्धा अधनियिम, 2002:

- प्रतस्पर्द्धा अधनियिम वर्ष 2002 में पारति कयि गया था और [प्रतस्पर्द्धा \(संशोधन\) अधनियिम, 2007](#) द्वारा इसे संशोधति कयि गया । यह आधुनकि प्रतस्पर्द्धा वधानँ के दर्शन का अनुसरण करता है ।
 - यह अधनियिम प्रतस्पर्द्धा-वरीधी करारँ और उद्यमँ द्वारा अपनी प्रधान स्थति के दुरुपयोग का प्रतषिध करता है तथा समुच्चयँ [अर्जन, नयितरण, 'वलय एवं अधगिरहन' (M&A)] का वनियिमन करता है, क्यँकि इनकी वजह से भारत में प्रतस्पर्द्धा पर व्यापक प्रतकिल प्रभाव पड़ता है या इसकी संभावना बनी रहती है ।
 - संशोधन अधनियिम के प्रावधानँ के अनुरूप भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग और [प्रतस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधकिरण \(Competition Appellate Tribunal- COMPAT\) की स्थापना की गई](#) ।
 - वर्ष 2017 में सरकार ने प्रतस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधकिरण (COMPAT) को [राष्टरीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधकिरण \(National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT\)](#) से प्रतस्थापति कर दयि ।

CCI की भूमकि और कार्य:

- **प्रतस्पर्द्धा पर प्रतकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना**, प्रतस्पर्द्धा को बढ़ावा देना और उसे जारी रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- किसी वधिन के तहत स्थापित किसी सांघिकि प्राधकिरण से प्राप्त संदर्भ के लयि प्रतस्पर्द्धा संबंधी वषियों पर परामर्श देना एवं प्रतस्पर्द्धा की भावना को संपोषति करना, सार्वजनकि जागरूकता पैदा करना एवं प्रतस्पर्द्धा के वषियों पर प्रशकिषण प्रदान करना।
- **उपभोक्ता कल्याण**: उपभोक्ताओं के लाभ और कल्याण के लयि बाजारों को सकषम बनाना।
- अर्थव्यवस्था के तीव्र तथा समावेशी वकिस एवं वृद्धि के लयि देश की आर्थकि गतविधियों हेतु नषिपक्ष और स्वस्थ प्रतस्पर्द्धा सुनिश्चति करना।
- आर्थकि संसाधनों के कुशलतम उपयोग को कार्यान्वति करने के उद्देश्य से प्रतस्पर्द्धा नीतियों को लागू करना।
- प्रतस्पर्द्धा के पक्ष-समर्थन को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाना और सभी हतिधारकों के बीच प्रतस्पर्द्धा के लाभों को लेकर सूचना का प्रसार करना ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतस्पर्द्धा की संस्कृति का वकिस तथा संपोषण कया जा सके।

CCI की अब तक की उपलब्धियाँ:

- आयोग ने 1,200 से अधिक स्पर्द्धारोधी मामलों का नरिणय कया है, यानी स्पर्द्धारोधी मामलों में केस नपिटान दर 89% है।
- इसने अब तक 900 से अधिक वलिय और अधग्रहण के मामलों की समीक्षा की है, उनमें से अधकिंश को 30 दनों के रकिॉर्ड औसत समय के भीतर मंजूरी दी है।
- आयोग ने संयोजनों/लेन-देनों पर स्वचालति अनुमोदन के लयि 'ग्रीन चैनल' प्रावधान जैसे कई नवाचार भी कयि हैं तथा ऐसे 50 से अधिक लेन-देन को मंजूरी दी है।

चुनौतियाँ:

- **डजिटिलीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ**: चूँकि प्रतस्पर्द्धा अधनियम (2002) के समय हमारे पास एक मज़बूत डजिटिल अर्थव्यवस्था नहीं थी, अतः CCI को नए डजिटिल युग की तकनीकी बारीकियों को समझना चाहयि।
- **नई बाजार परभाषा की आवश्यकता**: भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग को अब बाजार की अपनी परभाषा को आधुनकि बनाने की आवश्यकता है। चूँकि डजिटिल स्पेस की कोई सीमा नहीं है, अतः प्रासंगकि बाजारों को परभाषति करना वशिव भर के नयामकों के लयि एक कठनि काम रहा है।
- **कार्टेलाइज़ेशन से खतरा**: कार्टेलाइज़ेशन से खतरे की संभावना है। चूँकि महामारी के कारण वस्तुओं की वैश्वकि कमी देखी गई है औसूरवी यूरोप में युद्ध के परणामस्वरूप आपूर्ति शृंखला पर इसका प्रतकूल प्रभाव पड़ा है।
 - इनकी जाँच कर यह सुनिश्चति करना आवश्यक है कि कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति पक्ष में उत्तार-चढ़ाव के पीछे कोई एकाधकिार/द्वैतवादी प्रवृत्तति नहीं है।

आगे की राह

- **वेब 3.0, आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन** और अन्य तकनीकी उन्नयनों के साथ ही डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता, प्लेटफॉर्म तटस्थता, डीप डस्किाउंटगि, कलिर एक्वज़िशन आदि जैसे मुद्दों का उद्भव हुआ है जिसके परणामस्वरूप भारत के लयि एक मज़बूत प्रतस्पर्द्धा कानून-जो प्रौद्योगिकी की वर्तमान दुनिया में कानूनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, अपरहिर्य हो गया है। इस तरह का कानून डजिटिल बाजार के अभकिर्त्ताओं को व्यावहारकि स्तर पर सहभागति में सकषम बनाएगा।
 - CCI को नए डजिटिल युग की तकनीकी बारीकियों के साथ यह समझने की आवश्यकता है कि उपभोक्ताओं के लाभ के लयि इन बाजारों का उचति, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से उपयोग कया जा रहा है या नहीं।
- **FAQS** एक स्थायी समर्थन साधन बन सकते हैं जिसका प्रयोग "उपयोग के लयि तैयार आधार (Ready-to-Use Basis)" के रूप में सूचना प्रसारति करने के लयि कया जा सकता है।
 - यह एक सक्रयि और प्रगतशील नयामक के रूप के रूप में CCI की स्थति को मज़बूत करेगा तथा इस तरह के मार्गदर्शन से बाजार सहभागियों को नविरक उपाय प्रदान करने में मदद मलैगी।

स्रोत: पी.आई.बी.